संख्या-447/2021/I/99950/2021/23-11099/3863/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर, 2021**

विषय:- जनपद गोरखपुर शहर में सर्किट हाऊस (नगर निगम सीमा के अन्तर्गत गोरखपुर एयरपोर्ट से सर्किट हाऊस मार्ग का निर्माण) तक चार लेन मार्ग (अ0जि0मा0, शहरी भाग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 8.710 कि0मी0) की अनुमोदित लागत में जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित करने के उपरान्त कुल लागत के सापेक्ष देय जी0एस0टी0 की धनराशि का धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-11047बी0जी0/7बी0-मांग/2020-21, दिनांक 28-01-2021 एवं संख्या-3317बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 27-07-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख/अन्य जिला मार्ग योजनान्तर्गत प्रश्नगत कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-312/2016/108(1)/23-11-2016-1/2(114)/2016, दिनांक 02-12-2016 द्वारा लागत रू0 8604.86 लाख की प्रदान की गयी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-32/2018/97(1)/23-11-2017-1/2(114)/2016, दिनांक 07-02-2018 द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 9655.66 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी जिसकी शर्त संख्या-14 में प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी, का उल्लेख है। तद्क्रम में प्रश्नगत कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 578.87 लाख की देयता उत्पन्न हुई है।

अत: प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित अनुमोदित लागत रू0 9655.66 लाख में नियमानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कार्य की कुल लागत रू0 10234.53 लाख के सापेक्ष देय जी0एस0टी0 की धनराशि अनुदान संख्या-58 से रू0 456.09 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 122.78 लाख अर्थात कुल रू0 578.87 लाख (रू0 पॉच करोड़ अठहत्तर लाख सत्तासी हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) प्रश्नगत कार्य पर अवमुक्त की जा रही जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान वास्तविक रूप से जमा की गयी जी0एस0टी0 के अनुरूप किया जायेगा और नियमानुसार जी0एस0टी0 के जमा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(4) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या-312/2016/108(1)/23-11-2016-1/2(114)/2016, दिनांक 02-12-2016 एवं शासनादेश संख्या-32/2018/97(1)/23-11-2017-1/2(114)/2016, दिनांक 07-02-2018 की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।

shasanadesh.up.gov.in

2- प्रश्नगत कार्यो पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडकें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1323-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडकें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-13-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यो हेतु-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-1048-दस-2021-2022, दिनांक 16 सितम्बर, 2021 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

shasanadesh.up.gov.in